मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./ 468/3340-676, दिनांक 20.09.2021

कार्यालय आदेश

हिमालय दिवस, दिनांक 09.09.2021 के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा के क्रम में एतत्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में ई–वाहनों को बढ़ावा दिये जाने हेतु निजी दो पहिया एवं 04 पहिया वाहनों की खरीद पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदान की जायेगीः–

1. बोर्ड में दो पहिया वाहनों हेतु प्रोत्साहन राशि के लिये प्राप्त होने वाले प्रथम 5000 आवेदनों पर वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा रु0 7500/–, जो भी कम हो, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा।
2. बोर्ड में चार पहिया वाहनों हेतु प्रोत्साहन राशि के लिये प्राप्त होने वाले प्रथम 1000 आवेदनों पर वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा रु0 50000/–, जो भी कम हो, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा।
3. यह प्रोत्साहन राशि उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी RTO/ARTO परिक्षेत्र से विद्युत चलित नया दो पहिया अथावा चार पहिया वाहन को पंजीकृत कराये जाने पर प्रदान की जायेगी।
4. प्रोत्साहन की धनराशि Back ended subsidy अर्थात धनराशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक व वित्तीय संस्थाओं/डीलर को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में श्री चन्दन सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी उक्त हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने पर इसका परीक्षण लेखानुभाग द्वारा करते हुये वित्त नियंत्रक के माध्यम से नोडल अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तथा नियमानुसार अनुमन्य प्रोत्साहन राशि अवमुक्त की जायेगी।
6. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रपत्र जमा करने होगें:–
   - वित्तीय संस्था/बैंक इत्यादि का प्रमाण पत्र।
   - सीधे बिना किसी लोन के वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा दिये गये बिल की प्रति।
   - उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
   - वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   - आधार कार्ड व एक फोटोग्राफ।

उपरोक्तानुसार विद्युत वाहनों से सम्बन्धित दिये जाने वाली प्रोत्साहन राशि का सम्पूर्ण व्यय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जाना अनुमन्य होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरदून को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित्।
2. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।
3. सविच, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।
4. निदेशक, परिवहन निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।
5. समस्त परिवहन आयुक्त / उपपरिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित्।
6. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर / हल्द्वानी / रूड़की / देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
7. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव

(१८)